



कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल।

(मिश्रित भवन, लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद)

0326-2313385

9471192101, 8987790305

Email- dfodhanbad@gmail.com

dfo-dhanbad@gov.in

पत्रांक :- 2902

दिनांक :- 22.12.2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :- बी०सी०सी०एल० बरोरा क्षेत्र के मुराईडीह कोलियरी हेतु प्रस्तावित 133.69 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक- 908 दिनांक- 01.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि बी०सी०सी०एल० बरोरा क्षेत्र के मुराईडीह कोलियरी हेतु प्रस्तावित 133.69 हे० (46.17 हे० वन भूमि एवं 87.52 हे० जंगल-झाड़ी) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

1. प्रस्ताव के पार्ट- 2, वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा पत्र की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
2. बिन्दु 2 की पृच्छा, जो 133.69 हे० प्रस्तावित वन भूमि पर ओ०बी० डम्प का निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने के संबंध में है के संबंध में इस कार्यालय का पत्रांक 2776 दिनांक 06.12.2022 द्वारा महाप्रबंधक, बरोरा क्षेत्र से अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई। परियोजना पदाधिकारी, मुराईडीह कोलियरी के पत्रांक 2087 दिनांक 15.12.2022 द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनके द्वारा सूचित किया गया है कि मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र, बी०सी०सी०एल० द्वारा 133.69 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसमें 46.17 हे० अधिसूचित वन भूमि एवं शेष 87.52 हे० जंगल-झाड़ी है। अधिसूचित वन भूमि में 1980 के पूर्व किये गये एवं 1980 के बाद किये गए OB Dumping की विवरणी तथा जंगल-झाड़ी भूमि में वर्ष 1996 से पूर्व एवं 1996 के बाद किये गए OB Dumping की विवरणी निम्नलिखित है -

OB Dumping			
Notified Forest (Ha) = 34.38 Ha		Jungle Jhari (Ha) = 74.72 Ha	
Up to 1980	23.11	Up to 1996	38.30
After 1980	11.27	After 1996	36.35

वर्तमान में 11.79 हे० अधिसूचित वन भूमि एवं 12.87 हे० जंगल-झाड़ी भूमि यथावत (Intect) है। प्रमाण के रूप में उनके द्वारा भारतीय संरक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत

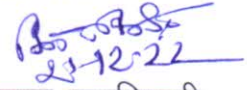
सीट संख्या- 16, 17 एवं 22 तथा राष्ट्रीयकरण से पूर्व मानचित्र/Plan समर्पित किया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बी0सी0सी0एल0 के मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र द्वारा कुल 47.62 हे0 वन भूमि पर OB Dumping कर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। अतः इसके दोगुने क्षेत्रफल के बराबर अर्थात् 95.24 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक (Penal Compensatory Afforestation) की शर्त इन पर अधिरोपित की जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी के स्थल निरीक्षण में पाया गया था कि OB Dump पर पूर्व में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।

अतः आपके द्वारा वापस किया गया वन भूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव एवं निराकरण प्रतिवेदन 7 प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे अपने स्तर से अग्रसारित करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन



वन प्रमण्डल पदाधिकारी
धनबाद।